प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.10.2025

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा भारी मात्रा मे अवैध पटाखे ले जाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 8 बोरा व 5 कार्टन अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे व लोडर गाडी बरामद ।

दिनांक 19.10.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर जल प्लांट अण्डरपास के पास से एक लोडर गाडी को पकडा गया, जिसमे 8 बोरा व 5 कार्टन अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बरामद हुए तथा उपरोक्त पटाखे ले जाने वाले दो अभियुक्त गण (1) अरशद पुत्र असलम निवासी मौहल्ला छैनापुरी थाना हापुड देहात जनपद हापुड उम्र 22 वर्ष (2) विनोद कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी म0नं0 128 गली नं0 5 चर्च के पास क्रिशचन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त अवैध पटाखो की बरामदगी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 287/125 BNS व 9B (1)(b) विस्फोटक अधिनियम 1884 मे अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तो ने पूछताछ पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग हापुड क्षेत्र से पटाखो को लेकर आ रहे थे, जिनको हम चोरी छिपे ग्राहको बेच कर अच्छा मुनाफा कमाने वाले थे कि पुलिस ने हमे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. अरशद पुत्र असलम निवासी मौहल्ला छैनापुरी थाना हापुड देहात जनपद हापुड उम्र 22 वर्ष।
2. विनोद कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी म0नं0 128 गली नं0 5 चर्च के पास क्रिशचन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

8 बोरा व 5 कार्टन अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे व लोडर गाडी।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा पोक्सो अधिनियम के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त रोहित कुमार द्वारा वादिया उम्र करीब 15 वर्ष के साथ करीब 9-10 माह से शारीरिक सम्बन्ध बनाकर वादिया का शोषण करना तथा वादिया को किसी को न बताने के लिए वादिया को धमकाकर रखने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम के बजाय धारा 5L/6 पोक्सो अधिनियम का होना पाया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 19.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी राजनगर कालोनी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया और बताया कि वादिया मेरे यहाँ पर ट्यूशन पढती थी मैंने ही वादिया के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे और उसे यह बात किसी को न बताने के लिये धमकाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित कुमार पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी राजनगर कालोनी, थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 01.10.2025 को समय करीब 16.30 बजे वादी सचिन पुत्र प्रेमचन्द निवासी मेन 25 फुटा रोड थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के भाई विशाल व उसके दोस्त दीपांशु के साथ अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र संजित 2. तुषार पुत्र संजित 3. शाहिल पुत्र मुनिया 4. जीत उर्फ संजीत पुत्र मुंशी 5. भीमा पुत्र विनोद निवासीगण बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद द्वारा लाठी, डण्डों, ईट-पत्थर से मारपीट करना जिससे वादी के भाई विशाल की दौराने इलाज मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई जिसके आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत

किया गया। विवेचना व साक्ष्य संकलन से अन्य 04 अभियुक्तगण 1. वरूण उर्फ कालू पुत्र स्व0 सुशील कुमार उर्फ काले निवासी रतिराम कालोनी बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर 2. कालू उर्फ देव पुत्र शिव कुमार उर्फ मुनिया निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर 3. गौरव उर्फ गौरी पुत्र अशोक निवासी बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर 4. प्रिंस उर्फ पुच्ची पुत्र स्व0 संजय निवासी रतिराम कालोनी बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर के नाम भी प्रकाश में आये व मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी थी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 07.10.2025 को 03 अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र संजित उर्फ जीत निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर 2.वरूण उर्फ कालू पुत्र स्व0 सुशील कुमार उर्फ काले निवासी रतिराम कालोनी बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर 3.प्रिंस उर्फ पुच्ची पुत्र स्व0 संजय निवासी रतिराम कालोनी, बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर व दिनांक 15.10.2025 को 02 अभियुक्तगण 1. तुषार पुत्र संजित उर्फ जीत निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर 2. गौरव उर्फ गौरी पुत्र अशोक निवासी बेहटा हाजीपुर, थाना लोनी बॉर्डर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 18.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त देव उर्फ़ कालू पुत्र शिव कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त अमन व मृतक विशाल के बीच काफी समय से गुटबाजी चल रही थी। उन दोनों के बीच करीब 04 महीने पहले भी झगडा हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया था व पथराव किया था जिसमें दोनों जेल गये थे। दिनांक 01.10.2025 को भी उनके बीच कहासुनी हो गयी थी जिसमें हम सब ने मिलकर ईट-पत्थरों से विशाल के साथ मारपीट की थी और दीपांशु के भी बीच बचाव में सिर में चोट लग गयी है। फिर हम विशाल को मरणासन्न अवस्था में छोडकर वहाँ से भाग गये थे। मुझे बाद में पता चला कि विशाल की जीटीबी में मृत्यु हो गयी है जिस कारण मैं पुलिस से बचने के लिए छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देव उर्फ़ कालू पुत्र शिव कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

ट्रांस हिण्डन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व सर्विलांस/स्वॉट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 137 मोबाइल (अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रूपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

सी०ई०आई०आर० (सेन्ट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल फोन चोरी, स्नैचिंग लूट व मोबाइल फोन खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ट्रांस हिण्डन जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 137 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रूपये की बरामदगी की गई है। चोरी, स्नेचिंग/लूट व खोये हुए मोबाइल फोन को देश के विभिन्न राज्यो (हरियाणा, बिहार, दिल्ली एनसीआर आदि) में से बरामद किया गया है। बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. **थाना इन्दिरापुरम – 18**
2. **थाना कौशाम्बी – 32**
3. **थाना खोड़ा – 18**
4. **थाना साहिबाबाद – 12**
5. **थाना लिंकरोड़ – 17**
6. **थाना शालीमार गार्डन – 28**
7. **थाना टीलामोड़ – 12**

बरामदगी

- चोरी किये हुए मोबाइल फोन-05
- गुमशुदगी के मोबाइल फोन- 128
- स्नेचिंग/लूट किये हुए मोबाइल फोन- 04

कुल बरामद मोबाइल फोन-

137 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रूपये)

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा शातिर अपराधी को जेल से फरार कराने की योजना बनाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण:

दिनांक 19.10.2025 को वादी प्रतिसार निरीक्षक श्री चन्द्रमान सिंह, रिजर्व पुलिस लाइन, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना कविनगर में एक तहरीर दी गई। तहरीर में उल्लेख किया गया कि कुछ अभियुक्तों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर जानबूझकर एक शातिर अभियुक्त को डासना जेल, गाजियाबाद से फरार कराने की योजना बनाई थी। इस संबंध में तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:

घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 19.10.2025 को अनाज मंडी के पास, चौकी क्षेत्र गोविन्दपुरम से निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभीयुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

1. **मुकुल तोमर** पुत्र पुष्पेन्द्र तोमर, निवासी ग्राम सिकोहपुर, थाना बड़ौत, जिला बागपत, उम्र लगभग 28 वर्ष
2. **वंश सैनी** पुत्र अजय कुमार, निवासी ग्राम काकड़ा, थाना साहरपुर, जिला मुजफ्फरनगर, उम्र लगभग 25 वर्ष

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्त मुकुल तोमर ने पूछताछ में बताया कि बिजेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश पाल सिंह, निवासी 209 शिवलोकपुरी, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ, उनके रिश्तेदार हैं। उनके विरुद्ध जनपद हापुड़ में फर्जी मार्कशीट के मामले में मुकदमा दर्ज है, जिसके चलते वे डासना जेल, गाजियाबाद में बंद हैं।

मुकुल तोमर ने अपने रिश्तेदार को जेल से फरार कराने की योजना बनाई और इस योजना को अमल में लाने हेतु अपने मित्र वंश सैनी को भी शामिल किया। दोनों ने दो पुलिसकर्मियों की मदद से दिनांक 04.10.2025 को बिजेन्द्र सिंह को जेल से फरार कराने का प्रयास किया। जब पुलिसकर्मी बिजेन्द्र सिंह को जेल से लेने पहुंचे, तो मुकुल और वंश भी जेल के बाहर मौजूद थे। लेकिन जेल प्रशासन ने बिजेन्द्र सिंह को तारीख पर ले जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे उनकी योजना विफल हो गई और वे वहां से भाग निकले। आज दिनांक 19.10.2025 को दोनों अभियुक्त अनाज मंडी के पास बाहर जाने की तैयारी में खड़े थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना कविनगर पुलिस टीम